

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 219/2018

अनवान :

1. सतवीरसिंह पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादी

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र श्री जिसुखराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. प्रदीप पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. राजबाला पुत्री भगवानाराम पत्नी दरियासिंह जाति जाट निवासी निनाण हाल निवासी दुईयां तहसील भट्टू जिला फतेहाबाद (हरियाणा)

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मदनलाल कड़वासरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 10 एएमएस के खाता सं० 33/29 के मु०नं० 18 के किला नं० 8/1 की 0.013 है० 14, 15, 13/1 की 0.240 है०, 18/3 की 0.00075 है० कुल कित्ता, कुल क्षेत्रफल 0.75915 है० नहरी तथा चक 3 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 46/29 के मु०नं० 50 के किला नं० 10 व 11, 20/1 की 0.176 है० मु०नं० 49 के किला नं० 6, 7/1 की 0.190 है०, 13/2 की 0.013 है०, 14 की 0.240 है०, 15, 16/1 की 0.104 है० 17/1 की 0.104 है० 18/2 की 0.045 है०, कुल कित्ता 11 का कुल क्षेत्रफल 1.884 है० राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं० 1 भगवानाराम के नाम दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं० 1 भगवानाराम के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं० 3 ने वाद कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/1/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़